

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के उप सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
अभियंता, प्रमुख के सचिव (प्रा०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग।
निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन, भवन निर्माण विभाग।
उप निदेशक-1 एवं 2, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन, भवन निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग।
भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग,
वरीय वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक- 12.2.2020

विषय:- बिहार विधानमंडल के सत्रावधि में मुख्यालय में उपस्थित रहने के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधानमंडल के दिनांक- 24 फरवरी, 2020 से दिनांक-31 मार्च, 2020 तक आहत सत्र के दृष्टिगत पूरी सत्रावधि के दौरान अपने-अपने मुख्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि विधानमंडलीय प्रश्नों की प्रश्नोत्तर सामग्री के संबंध में किसी भी समय आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। सत्रावधि के दौरान अपने-अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों की भी मुख्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।

2. अनिवार्य रूप से अभिलिखित विशेष परिस्थिति में सत्रावधि के दौरान किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी, यथा-कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता का विभागीय प्रधान सचिव की अनुमति के पश्चात् तथा वैकल्पिक व्यवस्था होने के उपरान्त ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

3. आदेश में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

4. कृपया इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11/2/20

—(विनय कुमार)

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक- 12.2.2020

ज्ञापांक:- 1305 (अ)

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।